भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 280

दिनांक 26.04.2016/6 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिसथाने तथा कैदखाने में सुविधाएं

†280. श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पुलिसथानों और कैदखानों की राज्य-वार संख्या क्या है जहां विकलांगों के लिए सुविधा उपलब्ध है;
(ख) क्या वर्तमान में विकलांग अभियुक्तों के लिए जेलों और न्याय प्रणाली के बीच अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जेल परिसरों में विभिन्न सुविधाओं जैसे शौचालय, जेल वैन विकलांगों के अनुकूल है ताकि यह सुनिश्चित हो कि न्याय प्रणाली तक पहुंच के लिए उन्हें सुविधाएं मिल सकें;
(घ) क्या विकलांग जन अधिकार संबंधी यूनाइटेड नेशन कन्वेशन, 2007 की सरकार ने पुष्टि कर दी है तथा इन विकलांग अभियुक्तों को अन्य के समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(घ) से (ङ) : सरकार ने वर्ष 2007 में विकलांग जल अधिकार संबंधी यूनाइटेड नेशन कन्वेशन की पुष्टी कर दी है। विकलांग जन अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) की धारा 46 में सार्वजनिक भवनों में रैम्प, व्हील चेयर का

<u>लोक सभा अता० प्र० सं० 280</u>

उपयोग करने वालों के लिए एडेटटेबल शौचालय, एलिवेटरों तथा लिफ्ट में उत्कीर्ण चिन्हों तथा श्रवण-संबंधी सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को अधिदेश हैं ताकि ऐसे वातावरण के सृजन में विकलांग व्यक्तियों को सहज सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना संचारों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान आरंभ किया है।

******